भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1241

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

छत पर से वर्षाजल संचयन

1241. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में छतों पर से वर्षा जल संचयन के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छतों पर से वर्षाजल संचयन के लिए टिकाऊ संरचना के निर्माण हेतु राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या देश के सभी सरकारी कार्यालयों/भवनों की छतों पर वर्षाजल संरक्षण प्रणाली संस्थापित करने का कोई प्रावधान है;और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): जल राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण और पुनर्भरण करने में राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत किया जाता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) नगरपालिका क्षेत्रों में अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) कार्यान्वित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना घटकों में से एक वर्षा जल संचयन शामिल है।

आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए राज्यों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जैसे दिल्ली का एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। एमबीबीएल के अनुसार, वे सभी भवन जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक हैं, को अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन के पूर्ण प्रस्ताव को शामिल करना आवश्यक है।

इसके अलावा, देश में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के सृजन को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2019, 2021 और 2022 में एक राष्ट्रव्यापी अभियान अर्थात "जल शक्ति अभियान" शुरू किया गया था। वर्ष 2021 और 2022

के दौरान, इस अभियान को जल शक्ति अभियान- कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) के रूप में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए 'कैच द रेन, व्हेयर इट फाल्स, वैन इट फाल्स' थीम के साथ चलाया गया था।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायतों को पंचायत, भवनों, आंगनवाड़ियों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि जैसे सरकारी भवनों को छतों पर वर्षा जल संचयन करने के लिए 15वें वित्त आयोग से टाइड ग्रांट का उपयोग करने में सक्षम बनाएं।

(ii) राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय जागरूकता को बढावा देने के लिए वॉटर टॉक, स्टेकहोल्डरों की क्षमताओं का निर्माण करने और लोगों को भूमि पर जल की बचत करके जीवन को बनाए रखने के लिए सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की श्रृंखला आयोजित करता रहा है जिसमें छतों पर वर्षा जल संचयन भी शामिल है। राष्ट्रीय जल मिशन ने सभी मंत्रालयों/विभागों से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने का भी अनुरोध किया है।

(iii) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के उपाय करने की सलाह दी है।

(iv) राष्ट्रीय जल नीति (2012) अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का समर्थन करती है।

(v) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परिचालित मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 में सरकारी कार्यालयों/भवनों सहित देश के सभी भवनों में वर्षा जल संचयन के प्रावधान शामिल हैं और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। अब तक सिक्किम, लक्षद्वीप और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एमबीएल-2016 के प्रावधानों को अपनाया है।

(ख): 15वें वित्त आयोग के 1,28,436.19 करोड़ रुपये के अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्यों को उपयोग करने के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें वर्षा जल संचयन पर व्यय के लिए संवितरण शामिल है। जेएसए: सीटीआर कई योजनाओं और हितधारकों का अभिसरण है। जेएसए: सीटीआर के तहत वर्षा जल संचयन सहित जल संबंधी कार्यों के वित्त पोषण के लिए जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, वित्त आयोग अनुदानों और स्थानीय रूप से जुटाई गई निधियों द्वारा प्रदान किए गए बजट का उपयोग किया जाता है।

(ग) और (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा तैयार किए गए मॉडल भवन उपनियमों के अनुसार, सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित करना अनिवार्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत सरकारी और पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की अनुमति है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और जिलों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से देश भर में सरकारी कार्यालयों, भवनों और परिसरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं सहित जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का अनुरोध किया गया है।

******